प्रेस विज्ञप्ति

26/12/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अप्पू घर समूह के मेसर्स इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (दिवालियापन के तहत) से संबंधित 120.98 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को 24.12.2024 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इन परिसंपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 29 में 25 एकड़ जमीन और गुरुग्राम के सेक्टर 52ए में 17 एकड़ जमीन के साथ-साथ अधूरे भवन शामिल हैं।

ईडी ने गुरुग्राम पुलिस द्वारा मेसर्स इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल), राकेश बब्बर, ज्ञान विजेश्वर, रॉबिन विजेश्वर और इसके अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स आईआरएएल ने गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52-ए में खुदरा दुकानों/वर्चुअल स्पेस के आबंटन का वादा करके 1500 निवेशकों (लगभग) से 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की थी। हालाँकि, उक्त संस्था परियोजना को पूरा करने में विफल रही और समय सीमा से चूक गई। साथ ही, निवेशकों को मासिक सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान नहीं किया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि राकेश बब्बर, ज्ञान विजेश्वर, रॉबिन विजेश्वर के नेतृत्व में आईआरएएल के प्रमोटरों ने निवेशकों के पैसे हड़प लिए और उन्हें संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के पास रख दिया, जिसका इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया। इसके अलावा, आईआरएएल की बैलेंस शीट से व्यावसायिक अग्रिम को खत्म करने के लिए प्रमोटर निदेशकों और ईओडी (खरीदने वाली संस्था) के बीच पूर्व-दिनांकित समझौता किया गया, जिससे कि जाने वाले निदेशक आईआरएएल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें।

पीएमएलए जांच में यह खुलासा होने के बाद, कि आईबीबीआई की अनुशासनात्मक समिति ने गंभीर आरोपों को लेकर समाधान पेशेवर को निलंबित कर दिया था, कॉरपोरेट देनदार आईआरएएल की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए कुर्की जारी की गई है। पीएमएलए जांच से पता चला है कि सीआईआरपी कार्यवाही शुरू होने के 6 साल बाद भी कोई समाधान योजना नहीं बनाई गई है, जिससे निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह

कुर्की ईडी द्वारा 28.05.2024 को उसी मामले में जारी 291.31 करोड़ रुपये की अनंतिम कुर्की के बाद की गई है, जिसकी पुष्टि पीएमएलए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई है। इस मामले में आज की तारीख तक कुल कुर्की 412.29 करोड़ रुपये (लगभग) है।